निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1943 (श0)
(सं0 पटना 684) पटना, बुधवार, 11 अगस्त 2021

i fj o g u fo Hkkx

अधिसूचना
11 अगस्त 2021

fc g kj e kSV j x kMh ¼la'kks/ku&1½ fu ; e koy h] 2021

सं० 06/इन्श्योरेन्स (वि0)–20/2018–*4887*—सिविल अपील वाद सं0–9936 एवं 9937/2016, उषा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु मोटरवाहन अधिनियम, 1988 में अधिनियम संख्या–32/2019 के माध्यम से वाहन दुर्घटना उद्‌भूत मुआवजा वादो के त्वरित निष्पादन हेतु अधिनियमित प्रावधानों के आलोक में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अन्तर्गत दावा अधिकरण संबंधी प्रावधानों में तत्काल संशोधन की अनिवार्यता के मद्देनजर धारा 165, 176 एवं 211 के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 में प्रस्तावित संशोधन प्रारूप, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–212 के अनुसार यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ, उनकी आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों तक विभागीय वेबसाइट www.transport.bih.nic.in पर प्रकाशित किया गया था।

इसके संबंध में समर्पित आपत्ति एवं सुझाव जो उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त हुए, उनपर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैः–

1- l f{kIr uke] i kj EHk gksus dh frfFk , oa foLrkj %&

¼क) यह बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(ख) यह दिनांक–15.09.2021 से प्रभावी होगा।

(ग) यह संपूर्ण बिहार राज्य के लिए प्रभावी होगा।

2- बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X में ''दावा अधिकरण'' शीर्षक को 'दावा न्यायाधिकरण' से प्रतिस्थापित किया जाता है।

3- बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के अध्याय X के अन्तर्गत , वर्तमान नियम–226 के पूर्व निम्नांकित नियम क्रमानुसार 225A, 225B,225C, 225D, 225E एवं 225F अंतः स्थापित किये जाते हैंः–

225 **A%&** मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत उद्‌भूत वाहन दुर्घटना जनित मुआवजा वादों के निष्पादन के लिए दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस अध्याय के संशोधित नियमों (225A से 225F) के अनुसार दावा वादों का निष्पादन किया जाएगा।

225 ठ: वाहन दुर्घटना के कारण मृतक के आश्रित अथवा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अंतरिम मुआवजा भुगतान हेतु विहित प्राधिकारी/निधि एवं प्रक्रिया:-

(1) अंतरिम मुआवजा भुगतान हेतु विहित प्राधिकारी:- मोटरवाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) व्यक्ति को तत्काल अंतरिम मुआवजा के भुगतान के लिए इस नियमावली के अधीन राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारी ''दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी'' (Accidental Claims Inquiry Officer) होंगे एवं राज्य के सभी जिला पदाधिकारी दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी (Accidental Claims Assessment Officer) होंगे।

(2) बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि:-

(क) वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) व्यक्ति को तात्कालिक रूप से अंतरिम मुआवजा भुगतान हेतु तत्काल सड़क सुरक्षा निधि से 50 करोड़ रूपये ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि'' के रूप में बजटीय उपबंध किया जाएगा। इस निधि से व्यय के आलोक में समय–समय पर अतिरिक्त राशि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा इस निधि में उपलब्ध करायी जा सकेगी एवं भुगतान स्वरूप व्यय की गई अंतरिम मुआवजा की राशि संबंधित बीमा कंपनी अथवा वाहन स्वामी से प्रतिपूर्ति स्वरूप जमा कराने की प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी।

(ख) बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अधीन गठित लीड एजेन्सी द्वारा 'बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि' से जिला पदाधिकारियों को आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। इस निधि का उपयोग दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान करने हेतु एक Revolving Fund के रूप में किया जायेगा। इसके लिए संबंधित बीमा कंपनी अथवा वाहन स्वामी से निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति–सह–जिला परिवहन पदाधिकारी इस मद् से वास्तविक देनदारों को भुगतान की कार्रवाई करेंगे तथा पृथक रूप से इसका लेखा संधारण करेंगे।

(घ) बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के सृजन, बजटीय उपबंध, आवंटन की प्रक्रिया, प्रतिपूर्ति की विस्तृत प्रक्रिया परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(3) अंतरिम मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया:

(क) संबंधित थानाध्यक्ष, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/अनुमंडलीय अस्पताल/सदर अस्पताल के प्रभारी/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक कार्यालय से प्रासंगिक सूचना एवं प्रतिवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी प्राप्त कर वाहन दुर्घटना जनित किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) होने की संपुष्टि होने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2022 (अ) दिनांक 22.05.2018 के आलोक में अंतरिम मुआवजा की राशि भुगतान हेतु दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(ख) दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी द्वारा एतदर्थ अंतरिम मुआवजा के भुगतान के लिए मृतक के मामले में आवेदक/दावेदार से विहित प्रपत्र **C-1** में और घायल के मामले में विहित प्रपत्र **C-2** में आवेदन के अतिरिक्त निम्नांकित कागजात अपेक्षित होंगे:–

- (i) थानाध्यक्ष (दुर्घटना जाँच पदाधिकारी) द्वारा (एक सप्ताह के अंदर C-4 भाग–II में) दुर्घटना जांच प्रतिवेदन।
- (ii) प्रभारी/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा वाहन दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में पोस्टमाटम रिपोर्ट अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) होने संबंधी मेडिकल प्रतिवेदन।
- (iii) मोटरयान निरीक्षक से दुर्घटनाग्रस्त वाहन से संबंधित **C-4** भाग-**I** में जांच प्रतिवेदन।

(ग) मृतक के आश्रित अथवा घायल व्यक्ति को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर रूप से घायल (grievous hurt)

वाहन स्वामी या संबद्ध वाहन या किसी अन्य व्यक्ति की लापरवाही,उपेक्षा या भूलचूक के कारण हुई है।

(घ) दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपए एवं गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) व्यक्ति को पचास हजार रूपए का तात्कालिक 'अंतरिम मुआवजा' भुगतान की अनुशंसा दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी को करेंगे।

(च) दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में, दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी अथवा उनके प्राधिकृत पदाधिकारी उपर्युक्त वर्णित ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि'' से अंतरिम मुआवजा के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करेंगे। तत्पश्चात् अंतरिम मुआवजा राशि का भुगतान सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति–सह–जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को उचित पहचान एवं पावती पर विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

225 C%& vafje eqvkotk ikfIr gsrq vkfJr A& इस नियमावली के अधीन मृतक के आश्रित से तात्पर्य है; विवाहित मृतक का पति/पत्नी। विवाहित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पति/पत्नी के नहीं रहने पर, एक भी संतान नहीं होने की स्थिति में माता/पिता। अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में उनके माता/पिता। अविवाहित मृतक के माता/पिता के जीवित नहीं रहने की स्थिति में बहन एवं भाई समान रूप से हकदार होंगे। दोनों स्थितियों में विवाहित एवं अविवाहित पीड़ित के लिए अल्प व्यस्क दावेदार को वैध अभिभावक के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

225 D%& vafje Hkqxrku dh xbZ eqvkotk jkf'k dh izfriwfrZ%&

(क) ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि''से दावेदारों को अंतरिम रूप से भुगतान की गई राशि के समायोजन हेतु बीमित वाहनों के लिए संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा (Third Party Insurance Claim) के रूप में देय राशि ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि'' के संबंधित जिला के बैंक खाता में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा की जाएगी। निर्धारित अवधि में बीमा कम्पनी द्वारा देय राशि नहीं जमा करने पर इसकी वसूली हेतु दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्रवाई बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत की जा सकेगी।

(ख) दुर्घटना की तिथि को बीमारहित (uninsured) वाहनों की स्थिति में अंतरिम भुगतान की गयी मुआवजा राशि के समायोजन हेतु वाहन स्वामी द्वारा ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि'' के संबंधित जिला के बैंक खाता में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत राशि जमा की जायेगी। वाहन स्वामी द्वारा इन्कार अथवा उदासीनता की स्थिति में उनके जब्त वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि से अंतरिम रूप से भुगतान की गयी मुआवजा राशि का समायोजन किया जायेगा। यदि वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि दुर्घटना पीड़ितों को भुगतान की गयी अंतरिम मुआवजा राशि से कम हो तो शेष राशि ''बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि'' से तत्काल व्यय मानी जाएगी एवं उक्त राशि की वाहन स्वामी से वसूली हेतु दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

225 E%& nkok U;k;kf/kdj.k] vkosnu ,oa nkok fu"iknu dh izfØ;k%&

¼1½ nkok U;k;kf/kdj.k (Claims Tribunal)%&

(क) मोटरवाहन दुर्घटना जनित व्यक्ति की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) अथवा सम्पत्ति की क्षति के लिए त्वरित मुआवजा निर्धारण हेतु मोटर वाहन अधिनियम की धारा–165 के अन्तर्गत संपूर्ण बिहार राज्य के लिए एक राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण (Claims Tribunal) गठित किया जा सकेगा।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–89 (2) के अन्तर्गत परिवहन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत 'राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण' (State Transport Appellate Tribunal) तात्कालिक प्रभाव से अपने मूल कार्यों के अतिरिक्त इस कार्य हेतु सक्षम न्यायाधिकरण होगा, परन्तु राज्य सरकार कार्य की अधिकता को देखते हुए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त दावा न्यायाधिकरण (Claims Tribunal) का गठन एवं उसके क्षेत्राधिकार का निर्धारण कर सकेगी अथवा राज्यस्तरीय दावा न्यायाधिकरण में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति कर स्वतंत्र पीठ के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

(ग) *fcgkj eksVj okgu ¼'kkfrhdj.k&1½ fu;ekoyh 2021* के माध्यम से नियमावली के अध्याय–X में अंतः स्थापित इन नियमों के लागू होने की तिथि के पश्चात् मोटर दुर्घटना जनित दावा वाद राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किए जा सकेंगे एवं संशोधित प्रक्रिया द्वारा निष्पादित किये जाएँगे। पूर्व के जो भी दावा आवेदन विभिन्न जिलों में गठित दावा न्यायाधिकरण में समर्पित एवं विचाराधीन लंबित होंगे, वे पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निष्पादित किये जा सकेंगे।

¼2½ nkok vkosnu%&

(क) अंतरिम मुआवजा राशि का मूल्यांकन एवं अंतरिम भुगतान के अनुरूप मृतक के आश्रित अथवा पीड़ित व्यक्तियों की ओर से दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावा आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दायर किया जाएगा। सभी प्रासंगिक अभिलेखीय साक्ष्य भी संलग्न किये जायेगें।

(ख) दावा न्यायाधिकरण में आवेदन दायर करने के लिए मृतक के आश्रित एवं पीड़ित व्यक्ति द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

(ग) जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा यह आवेदन ई–मेल एवं बेव पोर्टल के माध्यम से दावा न्यायाधिकरण में दायर किया जा सकेगा। दावा न्यायाधिकरण द्वारा इस आवेदन को मुआवजा हेतु दावा वाद के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(घ) इसके लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

¼3½ nkok fu'iknu dh izfØ;kA& जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से दायर आवेदन को मुआवजा हेतु दावा वाद के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी संक्षिप्त सुनवाई कर अधिकतम 60 दिनों में दावा न्यायाधिकरण द्वारा भुगतेय मुआवजा की राशि का निर्धारण किया जाएगा। दावा निष्पादन प्रक्रिया हेतु दावा न्यायाधिकरण स्तर पर स्थानीय निरीक्षण अथवा अन्य गवाहों का परीक्षण अपेक्षित नहीं होगा। दावा न्यायाधिकरण की सुनवाई प्रक्रिया में जिला परिवहन पदाधिकारी /प्राधिकृत मोटरयान निरीक्षक/प्राधिकृत प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक अथवा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता भाग ले सकेंगे ।

दावा न्यायाधिकरण द्वारा जिलावार दैनिक आधार पर सुनवाई की जा सकेगी एवं इसमें जिला स्तर से संबंधित पदाधिकारी V.C के माध्यम से भाग ले सकेंगे ।

दावा न्यायाधिकरण को Court Management System की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं software में उपलब्ध सुविधा यथा प्रपत्र, सूचना एवं प्रतिवेदन इत्यादि का प्रयोग न्यायाधिकरण द्वारा किया जा सकेगा ।

दावा निष्पादन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगीः–

¼d½ chekjfgr okgukad sfy, izfØ;k%&

(i) बीमारहित वाहनों से दुर्घटना के कारण मुआवजा वादों के क्रम में दावा न्यायाधिकरण सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेगा कि वह वाहन पुलिस द्वारा अनिवार्य रूप से जब्त किया गया हो और तब तक उसे विमुक्त नहीं किया जाय जब तक संबंधित वाहन स्वामी द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप निर्धारित मुआवजा राशि जमा नहीं किया जाय।

(ii) दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् 30 दिनों के अंदर वाहन स्वामी द्वारा मुआवजा की निर्धारित राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी–सह–दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिहरण (Confiscation) करने एवं सार्वजनिक नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(iii) उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी से प्राप्त राशि, दुर्घटना पीड़ितों को भुगतान किए गए अंतरिम मुआवजा राशि के समायोजन के लिए बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से संबंधित जिला के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

(iv) न्यायाधिकरण द्वारा घोषित किए जाने वाले निर्धारित मुआवजा राशि जो मृत्यु की स्थिति में 5.00 लाख एवं गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में पचास हजार होगी, के विरूद्ध वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि यदि कम होगी तो वह अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से व्यय मानी जाएगी।

¼[k½ chfer okgukas d sfy , i ₤Ø ; k%&

(i) प्रत्येक जिले में कार्यरत सभी बीमा कम्पनी अपने कंपनी की ओर से एक प्राधिकृत पदाधिकारी को नामित करेंगे, जो दुर्घटना पीड़ितों को दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी द्वारा की जा रही जाँच करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

(ii) दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी द्वारा पीड़ित व्यक्ति या उनके आश्रित को अंतरिम मुआवजा भुगतान किये जाने की सूचना, संबंधित बीमा कम्पनी के अधिकृत पदाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। उक्त बीमा कंपनी द्वारा यदि तत्काल अपने दायित्व स्वरूप, अंतरिम मुआवजा की प्रतिपूर्त्ति करते हुए, बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से संबंधित जिला के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है तो दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी के स्तर से इसकी सूचना दावा न्यायाधिकरण को प्रेषित कर दी जायेगी । उक्त दुर्घटना से संबंधित मुआवजा वाद की कार्रवाई दावा न्यायाधिकरण द्वारा निष्पादित व्यवहृत करते हुए संचिकास्त कर दिया जायेगा । इसमें कोई अन्य कार्रवाई अपेक्षित नहीं होगी।

(iii) प्रत्येक वाहन दुर्घटना पीड़ित या उनके आश्रित की ओर से, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–166 (उपधारा–1 (d)) के अधीन दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मुआवजा वाद दायर करने के लिए स्थानीय क्षेत्राधिकार के जिला परिवहन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

तदनुसार जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अंतरिम मुआवजा भुगतान के पश्चात् प्रासंगिक सभी कागजातों को संलग्न कर, इस नियमावली में विहित दावा न्यायाधिकरण के विचारार्थ अग्रसारित किया जाना अपेक्षित होगा ।

(iv) वाहन दुर्घटना पीड़ित या उनके आश्रित द्वारा प्राधिकृत, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दायर वाद के साथ संलग्न कागजात, जिनमें सत्यापित उनके व्यक्तिगत विवरण तथा थानाध्यक्ष से प्राप्त ''दुर्घटना जाँच प्रतिवेदन'' होंगे, का संज्ञान दावा न्यायाधिकरण द्वारा लिया जा सकेगा एवं दावा वाद की विहित प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी ।

(v) दावा न्यायाधिकरण, जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त दावा आवेदन पर सुनवाई कर अधिकतम 60 दिन की अवधि में मुआवजा का निर्धारण करते हुए दावा वादों का निष्पादन करेगा। इस क्रम में कोई स्थानीय निरीक्षण अथवा गवाहों का परीक्षण इत्यादि वांछित नहीं होगा । आवेदक एवं संबंधित बीमा कम्पनी की संक्षिप्त सुनवाई के पश्चात् उपलब्ध कागजातों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

(vi) दावा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान, सम्बन्धित बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से संबंधित जिला के बैंक खाता में किया जाएगा। दावा न्यायाधिकरण द्वारा यदि किसी विषेष परिस्थिति में, अंतरिम मुआवजा भुगतान की गई राशि से उच्चतर दर पर न्यायिक निर्णय पारित किया जाएगा तो वह सम्पूर्ण राशि 'दुर्घटना सहायता निधि' के बैंक खाते में ही जमा किया जायेगा तथा उक्त खाते से दुर्घटना पीड़ितों को पूर्व में भुगतेय राशि को छोड़कर शेष राशि के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

225 F%& fgV , oaju d sekey s (Hit & Run Cases)%&

(1) हिट एवं रन (Hit & Run) कोटि के वाहन दुर्घटना के मामलों में मोटरवाहन अधिनियम के आलोक में दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी मृतक के आश्रित को अथवा गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) व्यक्ति को मुआवजा के भुगतान हेतु जाँच कर अनुशंसा करेंगे। दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से तत्काल अंतरिम मुआवजा भुगतान की स्वीकृति दी जाएगी। (इस नियमावली के अंतर्गत परिभाषित दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ही Solatium Scheme के अंतर्गत 'दावा निर्धारण आयुक्त' व्यवहृत होगें)

(2) जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरांत 'वाहन दुर्घटना सहायता निधि' से मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रित को 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपए एवं गंभीर रूप से घायल (grievous hurt) व्यक्ति को पचास हजार रूपये अंतरिम मुआवजा भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा और स्वीकृत्यादेश इस योजना के लिये अधिकृत बीमा कंपनी (Lead Insurer) को संसूचित किया जायेगा ताकि Lead Insurer के स्तर से देय राशि की प्रतिपूर्त्ति वाहन दुर्घटना सहायता निधि में की जा सके।

(3) भुगतान की गयी अंतरिम मुआवजा की राशि में से Solatium Scheme के अनुसार/भारत सरकार द्वारा अद्यतन घोषित योजना के अनुसार General Insurance Council द्वारा राज्य के लिये अधिकृत बीमा कम्पनी (Lead Insurer) द्वारा बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से सम्बन्धित दुर्घटना दावा मूल्यांकन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के बैंक खाता में जमा की जाएगी। अंतरिम मुआवजा भुगतान की शेष राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से व्यय किया गया व्यवहृत माना जाएगा।

4- *fu; e* –226–(5) के पश्चात् नियम–226 का उपनियम (6) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 226–(6):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–226(1) से 226(5) लागू नहीं होगा।

5- *fu; e* –227–(3) के पश्चात् नियम–227 का उपनियम (4) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 227–(4):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–227(1) से 227(3) लागू नहीं होगा। वे सभी वाद निःशुल्क समर्पित किये जा सकेंगे।

6- *fu; e* –230–(3) के पश्चात् नियम–230 का उपनियम (4) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 230–(4):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–230(1) से 230(3) लागू नहीं होगा।

7- *fu; e &* 231 को 231 (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इसके पश्चात् उप नियम (2) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 231–(2):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों में परिवहन विभाग /इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दावेदारों की ओर से अधिवक्ता को प्राधिकृत किया जा सकेगा।

8. *fu; e* –232 को 232 (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इसके पश्चात् उप नियम (2) एवं (3) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 232–(2):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–232(1) लागू नहीं होगा।

fu; e & 232–(3):– दूर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी एवं अन्य विहित पदाधिकारियों के अधिकृत प्रतिवेदन की जाँच कर निर्णय लिया जा सकेगा।

9- *fu; e* –233 को 233 (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इसके पश्चात् उप नियम (2) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 233–(2):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–233(1) लागू नहीं होगा।

10. नियम 240–(4) के पश्चात् नियम–240 का उपनियम (5) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 240–(5):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–240(1) से 240(4) लागू नहीं होगा।

11. *fu; e* –245 को 245 (1) के रूप में संख्यांकित करते हुए इसके पश्चात् उप नियम (2) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 245–(2):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 लागू होने के पूर्व तत्समय गठित दावा न्यायाधिकरणों में दायर किये गये दावा वादों का निष्पादन, बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन) नियमावली, 1992 के अध्याय–X में विहित पूर्व प्रक्रिया के अनुसार किये जाते रहेंगे।

12. *fu; e* –246–(13) के पश्चात् नियम–246 का उपनियम (14) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता हैः–

fu; e & 246–(14):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–246(1) से 246(13) अप्रासंगिक।

(मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–140 विलोपित होने के फलस्वरूप)।

13. *fu ; e* –247 को 247 (1) के रूप में संख्याकित करते हुए इसके पश्चात् उप नियम (2) एवं (3) निम्नवत अंतः स्थापित किया जाता है:–

fu ; e & 247–(2):– बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन–1) नियमावली, 2021 के फलस्वरूप उद्भूत नये मुआवजा वादों के लिए नियम–247(1) लागू नहीं होगा।

fu ; e & 247–(3):– दुर्घटना दावा जाँच पदाधिकारी अथवा दावा न्यायाधिकरण के स्तर से मुआवजा वादों के निर्धारण संबंधी निर्णय का कोई प्रभाव उक्त दुर्घटना के कारण दर्ज आपराधिक वाद में नहीं पड़ेगा।

14- इस नियमावली के अंतर्गत नये दावा वाद दायर करने के लिए निम्नांकित प्रपत्र अंतःस्थापित/प्रतिस्थापित किए जाते हैं।

(i) बीमित वाहन एवं बीमा रहित वाहन से दुर्घटना के फलस्वरूप अंतरिम मुआवजा हेतु नियम– 226 (1) के अंतर्गत विहित प्रपत्र– क को मृतक के मामले में प्रपत्र C-1 और घायल के मामले में प्रपत्र C-2 से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ii) हिट एंड रन मामलों में अंतरिम मुआवजा हेतु आवेदन प्रपत्र C-3 (i) से (v) तक अंतःस्थापित किया जाता है।

(iii) दुर्घटना से संबंधित मोटरयान निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन नियम– 215 (4) के अंतर्गत विहित प्रपत्र दुर्घटना रिपोर्ट फार्म को प्रपत्र C-4, भाग–I से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(iv) दुर्घटना से संबंधित थानाध्यक्ष का जांच प्रतिवेदन (सभी मामलों में केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 का प्रपत्र–54) C-4, भाग–II से अंतःस्थापित किया जाता है।

15- परिवहन विभाग द्वारा इसे लागू करने के लिए आवश्यक दिशा–निदेश समय समय पर निर्गत किए जा सकेंगे और आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन अथवा संवर्द्धन की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सचिव।

vkosnu çi = %C-1 ¼ekSVjokgu nq?kZVuk esa e`rd ds ekeys esa½

vafre eqvkotk Lohd`fr gsrq vuqeaMy inkf/kdkjh dks

lefiZr vkosnu ¼fgV ,.M ju dks NksMdj½

¼d ghifjokj ds ,d lsv f/kd e`rd dh fLFkfr esa vyx&vyx vkosnu Hkjk tk,xk½

lsok esa

vuqeaMy inkf/kdkjh]

--

¼vkosnd dk QksVks½

vkosnd }kjk Hkjk tkus okyk Hkkx %

1- ¼A½ e`rd dk fooj.k%&

(i) वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्ति का नाम ....

पिता/पति का नाम..............................लिंग ....

उम्र ....ग्राम/मोहल्ला ....

थाना..............................प्रखंड/नगर निकाय..............................

पंचायत/शहरी वार्ड सं0..................जिला ....पिन कोड..........................

(ii) पहचान : आधार संख्या..............................अन्य पहचान पत्र..............................

¼B½ nkosnkj@vkosnd dk fooj.k %&

(i) दावेदार/आवेदक की संख्या %& ---------

¼d lsv f/kd nkosnkj gksus ij lHkh dk fooj.k nsa½

(i) दावेदार/आवेदक का नाम..............................

पिता/पति का नाम..............................

लिंग.................उम्र..............................ग्राम/मोहल्ला ....

थाना..............................प्रखंड/नगर निकाय..............................पंचायत/शहरी वार्ड सं0..............................जिला ....पिन कोड..............................

मोबाईल संख्या..............................ई–मेल आई0डी0..............................

मृतक से दावेदार का संबंध ....

(ii) क्या दावेदार मृतक के आश्रित/उत्तराधिकारी है? ....

2- iksLVekVZe dk fooj.k%&

¼Nk;kçfr layXu djsa½

(क) जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम..............................

(ख) पदनाम..............................

(ग) जिला..............................

(घ) रिपोर्ट का निर्गत संख्या............/दिनांक....................

3- nq?kZVuk laca/kh fooj.k %&

(i) वाहन दुर्घटना की तिथि :– समय :–

(ii) दुर्घटना स्थल का विवरण :– ग्राम/मोहल्ला .... थाना.............................. प्रखंड/नगर निकाय.............................पंचायत/शहरी वार्ड सं0........................घटना स्थल का विवरण (लैंडमार्क के साथ) .... जिला ....पिन कोड...........................

(iii) अस्पताल/चिकित्सक का नाम जहाँ ईलाज के लिये दाखिल किया गया था.............................. .... पता..

4- nq?kZVuk ls lacaf/kr okgu dk fooj.k%

¼A½ okgu dk fooj.k ftlls nq?kZVuk gqbZ%&

(i) वाहन का निबंधन सं0 जिससे दुर्घटना हुई है ....

(ii) वाहन स्वामी का नाम ....

(iii) चालक का नाम ....

(iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो) ....

¼B½ e`r O;fDr ds okgu dk fooj.k%& (यदि मृत व्यक्ति अपने वाहन पर सवार हो,दुर्घटना के समय वे स्वयं वाहन चला रहे थे/वाहन पर सवार थे/पैदल थे/ननमोटराईज्ड वाहन चला रहे थे)

(i) वाहन का निबंधन सं0 जिससे दुर्घटना हुई है ....

(ii) वाहन स्वामी का नाम ....

(iii) चालक का नाम ....

(iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो) ....

5- cSad [kkrk dk fooj.k ftlesa vafre eqvkots dh jkf'k ikuk pkgrs gSa%

(i) आवेदक/दावेदार के बैंक खाते का नाम..

(ii) बैंक का नाम...

(iii) शाखा...

(iv) खाता संख्या..

(v) IFSC Code :-..............................

(बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कैंसिल चेक की छायाप्रति संलग्न करें)

?kks'k.kk i =

(1) मैं/हम.. पिता/पति का नाम .... पोस्ट.................................... थाना ....जिला ....एतद् द्वारा थाना................................. जिला ....के अन्तर्गत थाना कांड सं0–............./...........में मृतक के आश्रित के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी, ... (जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता/पदाधिकारी ....) को दावा न्यायाधिकरण में दावा वाद दाखिल करने हेतु और इस वाद की समुचित पैरवी करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।

(2) मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही है।

(3) दावा न्यायाधिकरण इस मामलें में जो भी मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी वह राशि बिहार वाहन दुर्घटना निधि के अन्तर्गत संबंधित बैंक खाते में जमा की जायेगी और पूर्व में मुझे भुगतान की गई राशि से अधिक होने पर अन्तर राशि मुझे उपर्युक्त बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।

मेरे द्वारा निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति इसके साथ संलग्न किया जाता हैं :–

1. आधार कार्ड/व्यक्तिगत पहचान पत्र की छायाप्रति (मृतक एवं आवेदक/दावेदार दोनों का)।
2. आवासीय पता संबंधी कागजात की छायाप्रति (वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ बिजली बिल) (मृतक एवं आवेदक/दावेदार दोनों का)।
3. पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र/आश्रित प्रमाण पत्र की छायाप्रति (पति/पत्नी के मामले में आवश्यक नहीं)
4. बैंक पासबुक की छायाप्रति (आवेदक/दावेदार का)।
5. कैंसिल चेक की छायाप्रति (आवेदक/दावेदार का)।
6. पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति।
7. दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो तो)।
8. अन्य कोई सूचना यदि हो तो।

v kosnd @ nkosnkj d k gLrk{kj

i jvk uke %

fi r k@ i fr d k uke %

(पहचान पत्र सं0) –

मोबाईल नं0–

ई–मेल आई0डी0–

¼ d l s v f/kd nkosnkj gksus i j l Hkh d k gLrk{kj , oa fooj.k v ko';d g S½

v kosnu çi= %C-2 ½eksVj okgu nq?kZVuk eas xaHkhj :i ls ?kk; y dseke yseas½

<u>v afje eqvkot k Lohd`fr gsrq vuqeaMy i nkf/kdkjh dks</u>

<u>l efiZ v kosnu ¼fgV , .M j u dks NksM+dj ½</u>

¼d l sv f/kd ?kk; y kas dh l a[; k esa i R; sd ?kk; y gsrq v y x&v y x v kosnu Hkj k t k, xk½

l sok esa

v uqeaMy i nkf/kdkjh]

--

¼v kosnd dk QksVks½

v kosnd }kj k Hkj k t kus okyk Hkkx %

1- ¼A½ ?kk; y Q fDr dk fooj . k¼ fn o ; Ld gks rks½ %&

(i) वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्ति का नाम ....

पिता/पति का नाम.................... लिंग ....

उम्र .... ग्राम/मोहल्ला ....

थाना.................... प्रखंड/नगर निकाय....................

पंचायत/शहरी वार्ड सं0.................... जिला....................

पिन कोड.................... मोबाईल संख्या.................... ई–मेल आई0डी0....................

(ii) पहचान : आधार संख्या.................... अन्य पहचान पत्र ....

¼xaHkhj pksV dk izek.k i= layXu djsa½

¼B½ ?kk; y dsukckfyx gksus dh fLFkfr esa v kosnd dk fooj . k %&

(घायल नाबालिग होने की स्थिति में उसके अभिभावक आवेदक होंगे)

(i) आवेदक का नाम....................

पिता/पति का नाम.................... लिंग ....

उम्र .... ग्राम/मोहल्ला ....

थाना.................... प्रखंड/नगर निकाय....................

पंचायत/शहरी वार्ड सं0.................... जिला .... पिन कोड....................

मोबाईल संख्या.................... ई–मेल आई0डी0....................

घायल व्यक्ति से आवेदक का संबंध ....

(ii) क्याआवेदक घायल के अभिभावक है? ....

2- bZykt j r dk fooj . k %&....................

¼Nk; kçfr l ayXu dj sa½

(क) घायल की प्रतिशतता....................

(ख) जारी करने वाले पदाधिकारी/चिकित्सक/अस्पताल का नाम....................

(ग) पदाधिकारी/चिकित्सक पदनाम....................

(घ) जिला....................

(च) रिपोर्ट का निर्गत संख्या....................(यदि हो तो)/दिनांक....................

3- nq?kZVuk laca/kh fooj.k %

(i) वाहन दुर्घटना की तिथि :— समय :—

(ii) दुर्घटना स्थल का विवरण :— ग्राम/मोहल्ला ....
थाना.. प्रखंड/नगर निकाय..
पंचायत/शहरी वार्ड सं0 ....घटना स्थल का विवरण (लैंडमार्क के साथ) ....
....जिला.......................................पिन कोड.........................

(iii) अस्पताल/चिकित्सक का नाम जहाँ ईलाज के लिये दाखिल किया गया था...............................
....
पता...

4- nq?kZVuk ls lacaf/kr okgu dk fooj.k %

¼A½ okgu dk fooj.k ftlls nq?kZVuk gqbZ%&

(i) वाहन का निबंधन सं0 जिससे दुर्घटना हुई है ....

(ii) वाहन स्वामी का नाम ....

(iii) चालक का नाम ....

(iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो) ....

¼B½ ?kk;y O;fDr ds okgu dk fooj.k%& (यदि घायल व्यक्ति अपने वाहन पर सवार हो, दुर्घटना के समय वे स्वयं वाहन चला रहे थे/वाहन पर सवार थे/पैदल थे/ननमोटराईज्ड वाहन चला रहे थे)

(i) वाहन का निबंधन सं0 जिससे दुर्घटना हुई है ....

(ii) वाहन स्वामी का नाम ....

(iii) चालक का नाम ....

(iv) बीमा कंपनी का नाम (यदि वाहन बीमित हो) ....

5- ?kk;y ds cSad [kkrk dk fooj.k ftlesa vafre eqvkotk dh jkf'k ikuk pkgrs gSa%

(i) घायल के बैंक खाते का नाम...

(ii) बैंक का नाम..

(iii) शाखा..................................

(iv) खाता संख्या...

(v) IFSC Code :-...................

(बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा कैंसिल चेक की छायाप्रति संलग्न करें)

?kks'k.kk i =

(1) मैं.. पिता/पति का नाम .... पोस्ट .... थाना ....जिला ....एतद् द्वारा थाना .... जिला ....के अन्तर्गत थाना कांड सं0–........../..................में घायल/घायल का प्राधिकृत अभिभावक के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी, ... (जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता/पदाधिकारी ....) को दावा न्यायाधिकरण में दावा वाद दाखिल करने हेतु और इस वाद की समुचित पैरवी करने के लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ।

(2) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सभी सूचनाएँ सही है।

(3) दावा न्यायाधिकरण इस मामलें में जो भी मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगी वह राशि बिहार वाहन दुर्घटना निधि के अन्तर्गत संबंधित बैंक खाते में जमा की जायेगी और पूर्व में मुझे भुगतान की गई राशि से अधिक होने पर अन्तर राशि मुझे उपर्युक्त बैंक खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया जायेगा।

मेरे द्वारा निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति इसके साथ संलग्न किया जाता हैं :–

1. आधार कार्ड/व्यक्तिगत पहचान पत्र की छायाप्रति (घायल का और अभिभावक की स्थिति में दोनों का)
2. आवासीय पता संबंधी कागजात की छायाप्रति यथाः– वोटर कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट/ बिजली बिल (घायल का और अभिभावक की स्थिति में दोनों का)
3. घायल द्वारा अभिभावक को आवेदक बनने हेतु प्राधिकृत करने संबंधी पत्र।
4. बैंक पासबुक की छायाप्रति (घायल का)।
5. कैंसिल चेक की छायाप्रति (घायल का)।
6. इलाज रिपोर्ट की छायाप्रति।
7. दर्ज प्राथमिकी की छायाप्रति (यदि उपलब्ध हो तो)।
8. अन्य कोई सूचना यदि हो तो।

?kk; y @ v fHkHkko d d k g Lr k{ kj

i jvk u ke %

fi r k@ i fr d k u ke %

(पहचान पत्र सं0) –

मोबाईल नं0–

ई–मेल आई0डी0–

v kosnu i=& C-3 (i)

v afje eqkot k Lohd fr grqvuqeDy inkf/kd kjh d ks l efiZ v kosnu i= ¼fgV ,.M ju d se key se½

मैं...पुत्र/पुत्री/विधवा श्री.. उम्र ....ग्राम/मोहल्ला ....थाना.................................. प्रखंड/नगर निकाय..पंचायत/शहरी वार्ड सं0.....जिला...पिन कोड..का निवासी हूँ एवं मोटरवाहन दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण मुआवजा के लिए आवेदन करता/करती हूँ। मुझे दुर्घटना में लगी चोट के संबंध में आवश्यक विवरणी नीचे हैः–

मैं...पुत्र/पुत्री/विधवा श्री.. ग्राम/मोहल्ला...थाना..प्रखंड/नगर निकाय.. पंचायत/शहरी वार्ड सं0.........जिला.................................पिन कोड...मोटरयान दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल@ मृत्यु, श्री/श्रीमती/कुमारी..के फलस्वरूप मुआवजा हेतु नाबालिग घायल के प्राधिकृत अभिभावक@ आश्रित के रूप में आवेदन करता हूँ/करती हूँ, जो दिनांक–....................................को स्थल (लैंडमार्क सहित)... पर मोटर दुर्घटना में घायल/मृत हुए हैं और दुर्घटना से संबंधित अन्य जानकारी निम्नवत् है।

1. (i) घायल/मृतक का नाम...

   (ii) घायल@ मृतक के पिता/पति का नाम (विवाहित महिला/विधवा के मामले में पति का नाम) ....

2. घायल/मृत व्यक्ति का पता :ग्राम/मोहल्ला ....
   थाना...प्रखंड/नगर निकाय........ ....
   पंचायत/शहरी वार्ड सं0.............................जिला...पिन कोड......................................

3. आयु..................................जन्म तिथि......................................

4. घायल/मृत व्यक्ति का लिंग :

5. (i) दुर्घटना का स्थान

   (ii) दुर्घटना का तिथि

   (iii) दुर्घटना का समय

6. घायल/मृत व्यक्ति का व्यवसाय :

7. लगी चोटों की प्रकृति :

8. उस पुलिस थाना का नाम और पता जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई या दर्ज की गई थी :
   थाना का नाम..पता...
   जिला..पिन कोड...

9. (i) घायलों/मृतकों को चिकित्सीय सेवा देने वाले चिकित्सक अधिकारी/प्रैक्टिशनर का नाम............ ....

   (ii) घायलों/मृतकों को चिकित्सीय सेवा देने वाले चिकित्सक अधिकारी/प्रैक्टिशनर का पताः
   ग्राम/मोहल्ला...थाना...
   प्रखंड/नगर निकाय...पंचायत/शहरी वार्ड सं0..............जिला.........................
   पिन कोड....................मोबाईल संख्या...

10. नाबालिग घायल के प्राधिकृत अभिभावक का नाम...

पता : ग्राम/मोहल्ला...थाना............................

प्रखंड/नगर निकाय...पंचायत/शहरी वार्ड सं0.............जिला................................

पिन कोड..मोबाईल संख्या................................

11. घायल/मृतक के साथ संबंध :

12. कोई अन्य जानकारी जो दावे के निपटाने में आवश्यक या सहायक हो :

मैं शपथ लेता/लेती हूँ और पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर उल्लेखित सभी तथ्य मेरे सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है :

?kk; y @ ?kk; y d s i kf/kd `r v fHkHkko d

d k g Lr k{ kj -----------------------

e kc kb Z l ą ; k---------------------------------

b Z y v kb Ml0--------------------------------

i z = C-3 (ii)

¼fg V , .M j u d s e ke y s e s½

अनुलग्नक :

स्वीकृति आदेश संख्या :

दिनांक :

i ko r h j l hn

....की मृत्यु/घायल दिनांक...............................को.. (स्थान का नाम) पर के मोटर दुर्घटना में होने के फलस्वरूप मोटरवाहन अधिनियम के हिट एंड रन प्रावधानों के तहत आश्रित/घायल के रूप में अपने दावे की पूर्ण और अंतिम निपटान के उपरांत क्षतिपूर्ति के रूप में..बीमा कंपनी लि0 से सधन्यवाद ....रूपये प्राप्त किया।

गवाहों का हस्ताक्षर : राजस्व टिकट पर

1. आश्रित/घायल का हस्ताक्षर

2.

i i. = C-3 (iii)

¼fgV ,.M ju dse key se½

nkok t kp i nkf/kd kjh } kjk n{kZ uk nkok e¥; kdu i nkf/kd kjh d s le{k i Lrq nkok t kp

i frosnu ¼fgV ,.M ju dse key se½

1. मृत/घायल व्यक्ति का नाम..पता ग्राम/मोहल्ला ....थाना.. प्रखंड/नगर निकाय..पंचायत/शहरी वार्ड सं0............... जिला...पिन कोड...

2. (i) दुर्घटना का स्थान

   (ii) दुर्घटना का तिथि

   (iii) दुर्घटना का समय

3. उस पुलिस थाना का नाम और पता जिसके अधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई या दर्ज की गई थी :

   थाना का नाम...पता...

   जिला...पिन कोड...................................

4. (i) घायलों/मृतकों को चिकित्सीय सेवा देने वाले चिकित्सक अधिकारी/प्रैक्टिशनर का नाम...

   (ii) घायलों/मृतकों को चिकित्सीय सेवा देने वाले चिकित्सक अधिकारी/प्रैक्टिशनर का पताःग्राम/मोहल्ला...

   थाना..प्रखंड/नगर निकाय...

   पंचायत/शहरी वार्ड सं0..............जिला...पिन कोड.................

   मोबाईल संख्या..

5. बुलाये गये एवं परीक्षण किए गए व्यक्तियों का विवरण :नाम...

   पता :ग्राम/मोहल्ला ....

   थाना...प्रखंड/नगर निकाय...

   पंचायत/शहरी वार्ड सं0...................................जिला...

   पिन कोड..मोबाईल संख्या................................

6. क्या हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने का तथ्य स्थापित हुआ हैं या नहीं एवं उस निष्कर्ष पर आने का कारण.. ....

7. मुआवजे के भुगतान के लिए मृतक के आश्रित/घायल का नामः ....
....पता :ग्राम/मोहल्ला ....
थाना...प्रखंड/नगर निकाय...
पंचायत/शहरी वार्ड सं0...जिला..
पिन कोड.....................................मोबाईल संख्या..

8. आश्रित/घायल को भुगतान हेतु अनुशंसित राशि (एक से अधिक दावेदार के मामले में प्रत्येक योग्य दावेदार हेतु निर्धारित राशि एवं उन्हें उक्त राशि के भुगतान हेतु कारणों का उल्लेख) ....
....

9. दावे के निष्पादन के लिए प्रासंगिक या उपयोगी कोई अन्य जानकारी या रिकार्ड...
....

n ko k t kp i n kf/kd kj h d k
g Lr k{kj , o a i n u ke

मुहर :

दिनांक :

i i= C-3 (iv)

¼fgV ,.M ju ds ekeys esa½

v kns'k

दिनांक............................को थाना कांड संख्या........................../.................थाना...
जिला..(स्थल का नाम लैंड मार्क सहित)...
को घटित हिट एंड रन मोटर दुर्घटना में घायल (नाम)...
पिता/पति..ग्राम/नगर निकाय...
मुहल्ला...थाना...जिला...
पिन कोड.................................को/मृतक (नाम)...
...पिता/पति ....ग्राम/नगर निकाय..
... मुहल्ला...थाना...जिला..
..पिन कोड....................................के आश्रित (नाम)..
पता..
मृतक से संबंध..को मैं एतद् द्वारा मो0...मुआवजा के रूप में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता/करती हूँ।

n qkZuk nkok eqvkotk inkf/kdkjh

i frfyfi %&

1. बीमा कंपनी का कार्यालय
2. दावेदार
3. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
4. दावा जाँच अधिकारी

i i= C-3 (v)

¼fgV ,.M ju ds ekeys esa½

v kns'k

मैं/हम...घायल/मृतक के आश्रित के रूप में एतद् द्वारा वचन देता/देती हूँ कि मुझे/हमें दावा मूल्यांकन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी.. के स्वीकृति आदेश सं0...................................दिनांक............................ से भुगतान किये गये मुआवजे की राशि जिला परिवहन पदाधिकारी.. के बैंक खाते.. में वापस कर दूँगा/दूँगी यदि मुझे/हमें ....(नाम) की मृत्यु अथवा गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजे के दावे के एवज में या संतुष्टि के रूप में मोटरवाहन अधिनियम–1988 (यथा संशोधित) के किसी अन्य प्रावधान के तहत् या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत् कोई अन्य मुआवजा प्रदान की जाती है।

?kk; y @ e`r d ds v kfJ r

d k gLr k{kj --------------

çi= %C-4

e kWVj ; ku fuj h{kd l s l af/kr n qkZ u k t kp çfr o nu ¼fgV , .M j u d s e ke y s d ks N k sM+ d j ½

¼ACCIDENTAL INQUIRY REPORT½ Hkkx & I

l sok e sa

ft y k i fj o gu i n kf/kd kj h-------------------------------

Fkku k/ ; {k--*ft y k*---------------------------------

fo "k; %& Fkku k ----------...........---------------- *ft y k* --------------------------- *d s v U r x Z Fkku kd kaM*

l ¡ ; k -----------------@ -------- *l s l af/kr n qkZ u k t kp çfr o nu d k ç s'k.kA*

e gk' k;]

उपर्युक्त विषयक जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

1. पुलिस स्टेशन का नाम :..., जिला...
2. दुर्घटना संबंधी प्राथमिकी संख्या एवं तिथि :......................./...............................
3. वाहन संबंधी विवरणी :

   (क) निबंधन संख्या..

   (ख) इंजन संख्या (ई–वाहनों के लिए मोटर संख्या) ....

   (ग) चेचिस संख्या...

   (घ) वाहन स्वामी का नाम ....

   पिता/पति का नाम ....

   (च) वाहन स्वामी का पता : ग्राम/मोहल्ला ....

   .थाना..प्रखंड/नगर निकाय...

   पंचायत/शहरी वार्ड सं0...जिला ....

   पिन कोड................................मोबाईल संख्या....................................

4. दुर्घटना के समय, वाहन चालक का नाम..

   पिता/पति का नाम..

   पताः ग्राम/मोहल्ला ....थाना.............................

   प्रखंड/नगर निकाय..

   पंचायत/शहरी वार्ड सं0................................ जिला ....

   पिन कोड..............................मोबाईल संख्या........................

   (ख) चालक अनुज्ञप्ति संख्या और वैधता की अवधि ..../................

(ग) चालक अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकार का विवरण एवं पता ....

....

5. बीमा कंपनी का नाम और पता जिनके साथ वाहन स्वामी ने वाहन का बीमा कराया था :—

(i) बीमा कंपनी का नाम ....

(ii) बीमा कंपनी का पताः..

¼chek daiuh ds çeq[k dk;kZy; dk fooj.k layXu½

6. बीमा पॉलिसी का विवरण/बीमा संख्या और बीमा वैधता की तिथि ....

....

¼rr~ A; i{k ds ekeys esa eqvkotk ds ekeys esa gh chek dk çkd xd fooj.k vi{kr gS chek ikWfy lh@çek.k i = dh Nk;kçfr layXu djsa½

7. रूट परमिट का विवरण, यदि परमिट प्राप्त हो : (प्रति संलग्न)

8. दुर्घटना स्थल का लैंडमार्क के साथ विवरण यदि हो तो :

eksVj ;ku fujh{kd dk gLrk{kj ,oa frfFk

iwjk uke %

fo fg r çi = % C-4

Fkkuk/;{k }kjk fn;k tkus okyk nq?kZVuk tkp çfrosnu

¼ACCIDENTAL INQUIRY REPORT½ *Hkkx &* II

l sok e sa

ft yk i fjogu i nkf/kdkjh,

....

विषय :— थाना .... जिला .... के अन्तर्गत थानाकांड संख्या ..../......... से संबंधित दुर्घटना जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

egk'k;,

उपर्युक्त विषयक जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

1. पुलिस स्टेशन का नाम :
2. प्राथमिकी की संख्या
3. दुर्घटना संबंधी विवरण :
   (a) दुर्घटना की तिथि :
   (b) दुर्घटना का समय :
   (c) दुर्घटना का स्थान :
4. **(i)** मृतक का विवरण :
   (क) नाम ....
   पुरूष/स्त्री ....उम्र ....पिता/पति का नाम ....
   ....
   (ख) पता : ग्राम/नगर निकाय..
   मोहल्ला...लैंडमार्क..
   पंचायत/वार्ड सं0............थाना..जिला............................
   पिन कोड..........................मोबाईल नम्बर...........................
   (ii) घायल का विवरण :
   (क) नाम ....
   पुरूष/स्त्री ....उम्र ....पिता/पति का नाम ....
   ....
   (ख) पता : ग्राम/नगर निकाय...मोहल्ला...................
   लैंडमार्क... पंचायत/वार्ड सं0..
   थाना.............................जिला.....................................पिन कोड................................
   मोबाईल नम्बर...............................

5. अस्पताल/चिकित्सक की विवरणी जहाँ सेमृतक/घायल को हटाया गया :

(a) अस्पताल/चिकित्सक का नाम :

(b) रिपोर्ट की तिथिः

(पोस्टमार्टम रिपोर्ट/Medico Legal Certificateकी छायाप्रति संलग्न करें) :

6. *n`qkZVukxzLr okguksa dh fooj.kh %*

(a) दुर्घटना में शामिल मोटरवाहनों की संख्या..................

¼n`qkZVukvksa esa ,d ls vf/kd eksVjokgu jgus ij Øekad 6 ls 10 rd dsd kWye esa of.kZr i`k:i esa vyx&vyx okguksa dk fjiksVZ layXu djsa½

(b) वाहन का निबंधन संख्या :

(c) वाहन का प्रकार :

(i) निजी/व्यवसायिक वाहन

(ii) कार/तिपहिया/बस/ट्रक/ट्रैक्टर/अन्य

(छायाप्रति संलग्न करें)

7. चालक अनुज्ञप्ति का विवरण :

(क) वाहन चालक का नाम..

पिता/पति का नाम..

पताः ग्राम/मोहल्ला ....

थाना...................प्रखंड/नगर निकाय..

पंचायत/शहरी वार्ड सं0................... जिला ....

पिन कोड.........................मोबाईल संख्या....................................

(ख) ड्राइविंग लाइसेन्स संख्या और वैधता की अवधि :

(ग) चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकार का विवरण एवं पता :..

....

....

8. दुर्घटना के समय वाहन स्वामी का नाम ....

पिता/पति का नाम..

पता : ग्राम/मोहल्ला ....थाना.............................

प्रखंड/नगर निकाय..

पंचायत/शहरी वार्ड सं0....................जिला ....पिन कोड.......................

मोबाईल संख्या.......................

9. बीमा कंपनी का नाम और पता जिनके साथ वाहन स्वामी ने वाहन का बीमा कराया था :–

(i) बीमा कंपनी का नाम ....

(ii) बीमा कंपनी का पता:..

¼che k d a u h d s ç e aMy h; d k; kZ ; d k foo j . k l ay Xu ½

10. बीमा पॉलिसी का विवरण/बीमा संख्या और बीमा वैधता की तिथि ....

....

¼r r h; i {k d s e ke y s e s a g h c he k d k ç kl a fxd foo j . k v i sf{kr g SA c he k i kWfy l h@ ç e k. k i = d h N k; kç fr l ay Xu d j sa½

11. वाहन संबंधी अन्य विवरणी :

(i) इंजन नम्बर :

(ii) चेचिस नम्बर :

(iii) बैट्रीचालित वाहनों के मामले में इंजन नम्बर/मोटर नम्बर :

12. रूट परमिट का विवरण, यदि परमिट प्राप्त हो(छायाप्रति संलग्न करें) :

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिर्पोट में अंतर्निहित विषयवस्तु, थाना ....द्वारा की गई जाँच के अनुसार सही है।

13. अन्य प्रकार के कार्रवाई का विवरण, यदि हो तो...

¼Li "V foo j . k ; fn ; g fgV , aM j u d k **Case** *g kS½*

*u kV% **FIR** d h N k; ki zfr l ay Xu g SA*

दिनांक :–

Fkku k/; {k d k g Lr k{kj &

Fkku k/; {k d k i wjk u ke &

Fkku k d k u ke &

ft y k&

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 684-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in